

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक विविध संख्या - 52725/2015

थाना कांड संख्या -310 वर्ष-2013 थाना- वैशाली शिकायत मामला जिला- वैशाली से उत्पन्न

=====

1. रिकू कुमारी पत्नी संजीव मिश्रा
2. अर्चना स्वर्ण उर्फ अर्चना कुमारी पत्नी श्री राजीव मिश्रा दोनों निवासी गाँव लोमा,
थाना-राजापाकर, बारथी, जिला-वैशाली
3. मदन मोहन शर्मा पुत्र गरीब नाथ शर्मा
4. मदन मोहन शर्मा पुत्र बिजली ठाकुर दोनों निवासी बीरूपुर, डाकघर नेन्हा, थाना-
हाजीपुर सदर, जिला-वैशाली

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. अर्चना कुमारी पत्नी प्रशांत कुमार मिश्रा गांव लोमा, थाना-राजापाकर, बारथी, जिला-
वैशाली।

..... विपरीत पक्ष/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्रीमती अर्चना सिन्हा, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिए : श्री झारखण्डी उपाध्याय, एपीपी

=====

भारतीय दंड संहिता – धारा 498A

दहेज निषेध अधिनियम – धारा 3/4

रद्दीकरण – दिनांक 30/4/2013 को शिकायत मामला संख्या 310/2013 में पारित आदेश, जिसमें माननीय उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर ने धारा 498A और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपराधों के लिए संज्ञान लिया – नोटिस की सेवा के बावजूद विपक्षी पक्षकार कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ – शिकायतकर्ता का विवाह आरोपी के साथ संपन्न हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता के माता-पिता ने ससुराल वालों को आभूषण और अन्य घरेलू सामान उपहार के रूप में दिए – विवाह के समय से ही शिकायतकर्ता के ससुराल वालों ने अल्टो कार की मांग शुरू कर दी, जिसके लिए वे शिकायतकर्ता को प्रताड़ित करने लगे – याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 शिकायतकर्ता की ननदें हैं, और शेष याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के अलग रहने वाले चचेरे भाई या देवर हैं, इसलिए उनका प्रतिदिन के मामलों से कोई संबंध नहीं है, और उनके खिलाफ उत्पीड़न के आरोप भी सामान्य प्रतीत होते हैं – वास्तविक तथ्यों के मद्देनजर दिनांक 30/4/2013 को पारित संज्ञान आदेश जिसमें उपरोक्त सभी नामित याचिकाकर्ताओं के संबंध में संज्ञान लिया गया, को निरस्त और रद्द किया जाता है – आवेदन स्वीकृत

किया जाता है - यदि कोई रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट में है तो उसे निर्णय की प्रति के साथ लौटाने का निर्देश दिया जाता है।

=====

पटना उच्च न्यायालय का न्याय निर्देश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

दिनांक: 23-04-2024

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान खारिज करने वाली याचिका को 2013 के शिकायत मामला संख्या 310 (2013 का परीक्षण संख्या 2990) में पारित दिनांक 30.04.2013 के आदेश को रद्द करने के लिए पेश की गई है, जहां विद्वान अनुमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाजीपुर ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में आई. पी. सी.) की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया था।

3. नोटिस की उचित सेवा के बावजूद, विरोधी पक्ष संख्या 2, वर्तमान कार्यवाही में शामिल होने में विफल रहे।

4. शिकायत याचिका के सार से यह पता चलता है कि शिकायतकर्ता की शादी 20-05-2009 को प्रशांत कुमार मिश्रा के साथ की गई थी जिसमें शिकायतकर्ता के माता-पिता ने शिकायतकर्ता के ससुराल वालों को धरेलू समान के साथ गहने और उपहार दिए थे। लेकिन शादी के समय से शिकायतकर्ता के ससुराल वालों ने ऑल्टो कार की मांग करना शुरू कर दिया और जिसके लिए उन्होंने शिकायतकर्ता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायत के अवलोकन से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* कोई मामला नहीं बनता है। याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 शिकायतकर्ता की साली हैं और याचिकाकर्ता संख्या 3 और 4 चचेरे भाई हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता अलग से रह रहे हैं। और उनके दैनिक और घरेलू मामलों से कोई संबंध नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उनका निहितार्थ केवल गुप्त और अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ करीबी रिश्तेदार होने से प्रकट होता है, जो परेशान करने वाले रवैये का सुझाव देता है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के प्रावधानों के दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और दुरुपयोग का एक क्लासिकल मामला है। तर्क का निष्कर्ष निकालते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत याचिका के अवलोकन से भी, याचिकाकर्ताओं पर आरोप बहुत ही सामान्य और सर्वव्यापी दिखाई दे रहा है।

6. अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्टों पर भरोसा किया, **अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1083** मामले में बताया गया था।

7. आवेदन का विरोध करते हुए राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एपीपी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने दहेज की मांग उठाकर ओ. पी. संख्या 2 के प्रति कथित मानसिक और शारीरिक क्रूरता के प्रति सक्रिय भूमिका निभाई।

8. **अभिषेक केस (उपरोक्त)** के प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 12,13,14,5,16 और 17 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:-

12. धारा 482 Cr.P.C के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति की रूपरेखा अच्छी तरह से परिभाषित है। वी. रवि कुमार बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक, जिला अपराध शाखा, सलेम, तमिलनाडु द्वारा प्रतिनिधित्व [(2019) 14 एससीसी 568] में इस न्यायालय ने पुष्टि की कि जहां कोई अभियुक्त उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए एफ. आई. आर. को रद्द करने की मांग करता है, तो उच्च न्यायालय के लिए शिकायत में आरोपों की सत्यता का निर्णय लेने के लिए तथ्यात्मक क्षेत्र में प्रवेश करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य [2021 की आपराधिक अपील संख्या 330, 13.04.2021 को तय] में, इस न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति के दायरे और सीमा पर विस्तार से विचार किया। यह देखा गया कि निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग सावधानी से, सावधानी के साथ और दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए, ऐसे मानक को मृत्युदंड के संदर्भ में तैयार किए गए मानदंड के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यह भी देखा गया कि जिस एफआईआर/शिकायत को निरस्त करने की मांग की गई है, उसकी जांच करते समय न्यायालय उसमें लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के बारे में जांच नहीं कर सकता है। लेकिन यदि

न्यायालय उचित समझे, तो रद्द करने के मापदंडों और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-संयम को ध्यान में रखते हुए, और विशेष रूप से, आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1960 एससी 866) और हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [(1992) सप (1) एससीसी 335] में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार, न्यायालय के पास एफआईआर/शिकायत को रद्द करने का क्षेत्राधिकार होगा।

13. वैवाहिक विवादों के बीच पति के परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी पत्नी द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने के उदाहरण न तो दुर्लभ हैं और न ही हाल ही में उत्पन्न हुए हैं। इस संबंध में बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम विशेष रूप से प्रासंगिक कुछ निर्णयों पर ध्यान दे सकते हैं। हाल ही में, कहकशां कौसर उर्फ सोनम बनाम बिहार राज्य [(2022) 6 एससीसी 599] में, इस न्यायालय को एक ऐसी ही स्थिति से निपटने का अवसर मिला था, जहां उच्च न्यायालय ने धारा 498ए आईपीसी सहित विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह देखते हुए कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर निर्धारण की आवश्यकता थी वह यह था कि क्या ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य बहुप्रचलित आरोप थे जिन्हें रद्द किया जा सकता था, इस न्यायालय ने पहले के फैसलों का उल्लेख किया जिसमें धारा 498 ए आईपीसी के दुरुपयोग और वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की गई थी। इस न्यायालय ने पाया कि लगाए गए सामान्य सर्वव्यापी आरोपों के माध्यम से झूठे निहितार्थ वैवाहिक विवादों के दौरान अगर अनियंत्रित छोड़ दिए जाएं, तो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उस मामले के तथ्यों पर, यह पाया गया कि पत्नी द्वारा ससुराल वालों के

खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए थे और यह माना गया कि ससुराल वालों के खिलाफ स्पष्ट आरोपों के अभाव में उनके अभियोजन की अनुमति देने से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यह भी नोट किया गया कि एक आपराधिक मुकदमा, जो अंततः बरी हो जाता है, आरोपी पर गंभीर घाव देगा और इस तरह की कवायद को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

14. प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य [(2010) 7 एससीसी 667] में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि धारा 498ए आईपीसी के तहत दायर शिकायतों में पति और उसके सभी करीबी रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति भी असामान्य नहीं है। यह देखा गया कि न्यायालयों को इन शिकायतों से निपटने में बेहद सावधान और सतर्क रहना चाहिए और वैवाहिक मामलों से निपटने के दौरान व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पति के करीबी रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न के आरोप, जो अलग-अलग शहरों में रह रहे थे और कभी भी उस जगह नहीं गए या शायद ही कभी गए, जहां शिकायतकर्ता रहती थी, एक पूरी तरह से अलग रंग जोड़ देंगे और ऐसे आरोपों की बहुत सावधानी और सावधानी से जांच करनी होगी।

15. इससे पहले, नीलू चोपड़ा बनाम भारती [(2009) 10 एससीसी 184] में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि शिकायत दर्ज करने के लिए केवल वैधानिक प्रावधानों और उनकी भाषा का उल्लेख करना ही मामले का 'सबकुछ' नहीं है, क्योंकि न्यायालय के संज्ञान में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध का विवरण और उस अपराध को करने में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका की जानकारी होना आवश्यक है। ये टिप्पणियाँ आईपीसी की धारा 498ए से जुड़े एक वैवाहिक विवाद के संदर्भ में की गई थीं।

16. हाल ही में महमूद अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 2341/2023, 08.08.2023 को तय) में इस न्यायालय का निर्णय है, जो धारा 482 सीआरपीसी के संबंध में लागू कानूनी सिद्धांतों पर है। इसमें यह देखा गया था कि जब कोई अभियुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष या तो धारा 482 सीआरपीसी के तहत अंतर्निहित शक्ति या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए, एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आता है, तो अनिवार्य रूप से इस आधार पर कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है या बदला लेने के गुप्त मकसद से शुरू की गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफआईआर को ध्यान से और थोड़ा अधिक बारीकी से देखे। यह भी कहा गया कि न्यायालय के लिए केवल एफआईआर/शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित अपराध के लिए आवश्यक तत्वों का खुलासा किया गया है या नहीं, क्योंकि तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाही में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह कथनों के अतिरिक्त मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली कई अन्य परिस्थितियों पर भी गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ मामले के अर्थ को समझने का प्रयास करे।

17. भजन लाल (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने, उदाहरण के तौर पर, उन मामलों की व्यापक श्रेणियाँ निर्धारित की थीं जिनमें धारा 482 सीआरपीसी के तहत निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। निर्णय का पैरा 102 इस प्रकार है:

"102. अध्याय XIV के अंतर्गत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से सुसंचालित और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और ऐसे असंख्य प्रकार के मामलों की विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में आरोप संज्ञेय अपराध नहीं बनते बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध बनते हैं, वहां संज्ञेय अपराध के मामले में, संहिता की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की अनुमति नहीं है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावकारी निवारण प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना निहित हो और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से तथा निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हो।"

9. उपर्युक्त कानूनी और तथ्यात्मक प्रस्तुतियों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता देवर-भाभी प्रतीत होते हैं, जो अलग-अलग रह रहे हैं, तथा उनका ओ.पी. संख्या 2 के दैनिक

और घरेलू मामलों से कोई संबंध नहीं है, जहां उनके खिलाफ क्रूरता का आरोप भी बहुत सामान्य और सर्वव्यापी प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के मद्देनजर और **अभिषेक मामले (उपरोक्त)** के मार्गदर्शक नोट को लेते हुए, शिकायत मामला संख्या 310/2013 (परीक्षण संख्या 2990/2013) के संबंध में, जो विद्वान अनुमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाजीपुर के समक्ष लंबित है, उपरोक्त सभी नामित याचिकाकर्ताओं के संबंध में पारित दिनांक 30.04.2013 के संज्ञान लेने के आदेश को रद्द एवं दरकिनार किया जाता है।

11. अतः यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12. टीसीआर (ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड), यदि कोई हो, इस निर्णय की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

एस 0 त्रिपाठी

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।